हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

नवम् सत्र

समाचार भाग-1

संख्याः 86

मंगलवार, 15 सितम्बर, 2020/24 भाद्रपद,1942 (शक्)

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

समयः 11.00 बजे (पूर्वाह्न)

सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष श्री विपिन सिंह परमार जी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

व्यवस्था का प्रश्न

माननीय अध्यक्ष द्वारा प्रश्नकाल आरम्भ करने की घोषणा से पूर्व ही श्री राजेन्द्र राणा ने नियम-67 के अंतर्गत उनके तथा अन्य सदस्यों द्वारा दिए गए प्रस्ताव पर चर्चा करवाने की मांग रखी।

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था देते हुए कहा -

"नियम-67 के अंतर्गत सर्वश्री राजेन्द्र राणा, इन्द्र दत्त लखनपाल, नन्द लाल, मोहन लाल ब्राक्टा तथा श्री जगत सिंह नेगी माननीय सदस्यों से आज प्रातः 09.24 बजे नियम-67 के अंतर्गत स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है जो प्रदेश में बेनामी सम्पत्तियों, जमीनी सौदों की खरीद-फ़रोख्त में हो रहे कथित भ्रष्टाचार से संबंधित है। यह नोटिस मुझे समय पर प्राप्त हुआ है। इसको मैंने टिप्पणी हेतु सरकार को प्रेषित कर दिया है। जैसे ही सरकार का उत्तर प्राप्त होगा, वैसे ही इस पर मैं अपना निर्णय दूंगा।"

(कांगेस विधायक दल ने माननीय अध्यक्ष की व्यवस्था के विरोध में 11.15 बजे पूर्वाह्न सदन से बहिर्गमन किया।)

संसदीय कार्य मंत्री ने कांग्रेस विधायक दल द्वारा बहिर्गमन की निंदा एवं तीव्र भर्त्सना करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा अन्य राज्यों की तुलना में लंबा सत्र आयोजित करने के पीछे यही सोच रही है कि सदस्यों को चर्चा हेतु पर्याप्त समय मिले। प्रश्न काल में अकारण बहिर्गमन करके विपक्ष ने अलोकतांत्रिक कार्य किया है।

मुख्य मंत्री ने कहा कि नियम-67 के अन्तर्गत केवल तर्कसंगत एवं सामयिक विषय पर ही चर्चा होती है। विपक्ष खबरों में बने रहने के लिए बहिर्गमन कर रहा है। उन्होंने कांग्रेस विधायक दल द्वारा माननीय अध्यक्ष कार्यालय कक्ष के बाहर धरना देने, व्यवस्था को न मानने तथा अकारण बहिर्गमन करने के रवैये की कड़े शब्दों में निंदा की।

1. प्रश्नोत्तर

(I) तारांकित प्रश्न :

तारांकित प्रश्न संख्या : 3126 पर श्री राजेन्द्र राणा (प्राधिकृत) द्वारा अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछा गया। तारांकित प्रश्न संख्याः 3127 पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा शहरी विकास मंत्री (प्राधिकृत) ने उत्तर दिए।

(कांग्रेस विधायक दल के सदस्य 11.29 बजे पूर्वाह्न पुनः सदन में आए।)

तारांकित प्रश्न संख्या : 3128 से 3132 तक के उत्तर पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा संबंधित मंत्रियों द्वारा उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या : 3133 से 3173 तक के उत्तर संबंधित मंत्रियों द्वारा दिए गए समझे गए।

(II) अतारांकित प्रश्न :

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1161 से 1184 तक के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. कागज़ात सभा पटल पर

(1) **श्री वीरेन्द्र कंवर, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्री** ने हिमाचल प्रदेश कृषि उपज विपणन (संवर्धन और सरलीकरण) अध्यादेश, 2020 (2020 का अध्यादेश संख्या 2) की धारा 83(3)(4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन एवं तुलन-पत्र वर्ष 2018-19 (विलम्ब के कारणों सहित) की प्रति सभा पटल पर रखी।

(2) **श्री बिक्रम सिंह, उद्योग मन्त्री** ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग, वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी (औद्योगिक), वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2020 जोकि अधिसूचना संख्याःइन्ड-ए(ए)3-3/2018 दिनांक 31.07.2020 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 13.08.2020 को प्रकाशित, की प्रति सभा पटल पर रखी।

(3) **श्री सुख राम चौधरी, बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मन्त्री** ने निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखीः-

(i) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 394-395 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् लिमिटेड का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन, वर्ष 2018-19;

(ii) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (b) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विद्युत संचार निगम लिमिटेड का 11वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2018-19 (विलम्ब के कारणों सहित); और

(iii) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 104(4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग के वार्षिक लेखे तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, वर्ष 2018-19 ।

3. सदन की समितियों के प्रतिवेदन

(1) **श्रीमती आशा कुमारी, सभापति, लोक लेखा समिति,** (वर्ष 2020-21) ने समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखीः-

(i) समिति के 133वें मूल प्रतिवेदन (नवम् विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 71 वें कार्रवाई प्रतिवेदन (दशम् विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि लोक निर्माण विभाग से सम्बन्धित है;

(ii) समिति के 49वें मूल प्रतिवेदन (षष्टम् विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 67वें कार्रवाई प्रतिवेदन (अष्टम् विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि वन विभाग से सम्बन्धित है;

(iv) समिति के 113वें मूल प्रतिवेदन (षष्टम् विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 116वें कार्रवाई प्रतिवेदन (सप्तम् विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि वन विभाग से सम्बन्धित है;

(iv) समिति के 171वें मूल प्रतिवेदन (नवम् विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 266वें कार्रवाई प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि वन विभाग से सम्बन्धित है;

(v) समिति के 377वें मूल प्रतिवेदन (नवम् विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 204वें कार्रवाई प्रतिवेदन (दशम् विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि जल शक्ति विभाग से सम्बन्धित है; और

(vi) समिति के 167वें मूल प्रतिवेदन (अष्टम् विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 299वें कार्रवाई प्रतिवेदन (नवम् विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि सामान्य प्रशासन विभाग से सम्बन्धित है ।

(2) **श्री रमेश चन्द ध्वाला, सभापति, प्राक्कलन समिति,** (वर्ष 2020-21) ने समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखीः-

(i) समिति का 13वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि सामान्य प्रशासन विभाग की आय-व्ययक प्राक्कलनों की संवीक्षा पर आधारित है; और

(ii) समिति का 14वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि विकेन्द्रीयकृत नियोजन एवं नाबार्ड के अन्तर्गत विधायक प्राथमिकता की डी0पी0आर0 की संवीक्षा पर आधारित तथा योजना विभाग से सम्बन्धित है।

(3) **श्री अनिल शर्मा, सभापति, जन-प्रशासन समिति,** (वर्ष 2020-21) ने समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखीः-

(i) समिति का 12वां मूल प्रतिवेदन जोकि सैनिक कल्याण विभाग से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है;

(ii) समिति का 13वां मूल प्रतिवेदन जोकि गृह विभाग से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है; और

(iii) समिति का 14वां मूल प्रतिवेदन जोकि जोकि पुलिस विभाग की गतिविधियों की संवीक्षा पर आधारित है ।

4. नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

श्री अरुण कुमार ने "कांगड़ा के निजी अस्पताल फोर्टीस में प्रबन्धन द्वारा कोविड-19 से संक्रमित चिकित्सकों, अन्य स्टाफ व रोगियों के आंकड़ों को छुपाये जाने तथा टाण्डा मेडिकल कॉलेज में स्पैशलिटी/सुपर स्पैशलिटी की सेवायें बन्द होने" से उत्पन्न स्थिति की ओर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री का ध्यान आकर्षित किया।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

मुख्य मंत्री द्वारा वक्तव्य

मुख्य मंत्री ने 14/15.09.2020 मध्यरात्रि को पुलिस थाना, सदर, बिलासपुर के अंतर्गत कंदरौर चौक के पास हुई हत्या तथा इस बारे में सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में विस्तृत वक्तव्य दिया।

श्री मुकेश अग्निहोत्री, नेता प्रतिपक्ष ने मंत्रिमंडल के एक वरिष्ठ मंत्री के कोरोना से पीड़ित होने तथा इस कारण से सदन की कार्यवाही में भाग न ले पाने संबंधी विषय की ओर माननीय मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करते हुए इस बारे में स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया।

मुख्य मंत्री ने सूचित किया की श्री महेन्द्र, माननीय जल शक्ति मंत्री लगभग 12 दिनों से कोरोना पीड़ित हैं पहले वह IGMC में उपचाराधीन रहे तथा अब Home isolation के अन्तर्गत अपने घर पर स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह स्वयं श्री महेन्द्र सिंह जी के संपर्क में हैं तथा लगातार उनके स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं।

5. विधायी कार्य

सरकारी विधेयकों पर विचार-विमर्श एवं पारण

(i) **श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री** ने प्रस्ताव किया कि "हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास और रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 11)" पर विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

बिल पर खण्डशः विचार हुआ।

श्री जगत सिंह नेगी व **श्री राकेश सिंघा** ने खण्ड 2 पर संशोधन प्रस्तुत किए एवं चर्चा की।

श्री मुकेश अग्निहोत्री, नेता प्रतिपक्ष ने चर्चा में भाग लिया।

मुख्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

संशोधन अस्वीकार हुए।

खण्ड 2, 3, 4 व 5 विधेयक का अंग बने।

खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री ने प्रस्ताव किया कि "हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास और रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 11)" को पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास और रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 11) ध्वनिमत से पारित हुआ।

(ii) **श्री सुरेश भारद्वाज, शहरी विकास मन्त्री** (प्राधिकृत) ने प्रस्ताव किया कि "हिमाचल प्रदेश युद्ध पुरस्कार (संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 4)" पर विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

बिल पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2 पर श्री जगत सिंह नेगी व श्री राकेश सिंघा ने अपने संशोधन प्रस्तुत किए एवं चर्चा की।

शहरी विकास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

संशोधन अस्वीकार हुए।

खण्ड 2 विधेयक का अंग बना।

खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री सुरेश भारद्वाज, शहरी विकास मन्त्री (प्राधिकृत) ने प्रस्ताव किया कि "हिमाचल प्रदेश युद्ध पुरस्कार (संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 4)" को पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

हिमाचल प्रदेश युद्ध पुरस्कार (संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 4) ध्वनिमत से पारित हुआ।

(01.25 बजे अपराह्न सदन की बैठक भोजनावकाश के लिए 02.30 बजे अपराह्न तक स्थगित हुई।)

(सदन की बैठक भोजनावकाश के उपरान्त 02.35 बजे अपराह्न माननीय अध्यक्ष श्री विपिन सिंह परमार की अध्यक्षता में प्रारंभ हुई।)

6. नियम-130 के अन्तर्गत प्रस्ताव

(1) **डॉ0 राजीव बिन्दल तथा श्री राकेश जम्वाल** ने निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया एवं चर्चा की -

"नई शिक्षा नीति पर यह सदन विचार करे।"

श्री राकेश जम्वाल (**सह-प्रस्तावक**) ने चर्चा की।

(3.13 बजे अपराह्न कर्नल इन्द्र सिंह, सभापति पदासीन हुए।)

निम्नलिखित ने भी चर्चा में भाग लिया -

1. श्री जगत सिंह नेगी,
2. श्री रमेश चंद ध्वाला
3. श्री राकेश सिंघा

श्री गोविन्द सिंह ठाकुर, **शिक्षा मंत्री** ने श्री जगत सिंह नेगी व श्री राकेश सिंघा द्वारा नई शिक्षा नीति पर अपनी चर्चा के दौरान की गई टिप्पणियों पर स्पष्टीकरण दिया।

4. श्री राजिन्द्र गर्ग, खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले मंत्री।
5. श्री आशीष बुटेल
6. श्री नरेन्द्र ठाकुर

(04.40 बजे माननीय अध्यक्ष पदासीन हुए।)

7. श्री विनोद कुमार

सदन की बैठक 05.00 बजे अपराह्न बुधवार, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित हुई ।